Haryana, Chandigarh,

क्रमांक 42/176/99–5जी.एस. I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगावां तथा रोहतक मण्डल।
2. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
4. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।

दिनांक चण्डीगढ़ 7 जनवरी, 2000

विषय :– तृतीय श्रेणी के पदों को स्थानान्तरण के आधार पर भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अनुमोदन लेने हेतु।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 42/20/82–5जी.एस. I, दिनांक 19 अगस्त, 1982 की ओर दिलाऊं, जिनके पैरा (क) (3) तथा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि स्थानान्तरण के आधार पर जिस पद को भरा जाना आवश्यक हो, उस पद को सभी विभागों को परिपत्र द्वारा सरकुलेट किया गया हो तथा ऐसी सलैक्शन के लिए किसी भी कर्मचारी का सीधे आवेदन पत्र ऐन्टरटेन (entertain) नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सम्बन्धित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने वाली रिकमैन्डेशनज पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

2. सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कई विभागों द्वारा चर्चाधीन हिदायतों को सरासर अनदेखी करके स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को सरकुलेट किये बिना अन्य विभागों के कर्मचारियों से सीधे प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर ही उन्हें स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप इन हिदायतों के जारी किये जाने का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

3. सरकार ने विभागों द्वारा की जा रही उपरोक्त कोताही को गम्भीरता से लिया है तथा प्रश्नाधीन हिदायतों को दोहराने का निर्णय लिया है। तदानुसार मुझे इन हिदायतों को पुनः दोहराते हुए आपसे अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि भविष्य में स्थानान्तरण के आधार पर रिक्तियां भरते समय सरकार के परिपत्र दिनांक 19-8-1982 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतया पालन किया जाये। आपसे यह भी अनुरोध है कि इन हिदायतों को अपने अधीन कार्य कर रहे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के नोटिस में लायें ताकि वे इनकी कठोरता से पालना कर सकें।

हस्ताक्षर

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 42/176/99–5जी0 एस0 I दिनांक 7 जनवरी, 2000

इसकी एक प्रति सचिव, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, सैक्टर–8, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

हस्ताक्षर

अवर सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।